



उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि०

मुख्यालय : 2, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226 001

प्री.बी.एक्स. 2623806,2623740
फैक्स : 2624972,2611522
ग्राम : 2214007
टेलेक्स : 0522-2629284
ग्राम : "प्रोबैंक"
टेलेक्स : 0535-362 APEX IN

पत्रांक : वित्त-विनि./2015-16/टीडीएस/की.बी. 983

दिनांक : 30.05.2015

उपमहाप्रबन्धक/मुख्यप्रबन्धक/प्रबन्धक
उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि०
समस्त शाखायें
उ०प्र०/उत्तराखण्ड।

अति आवश्यक

विषय :- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194A में टीडीएस से सम्बन्धित किये गये संशोधन के सम्बन्ध में।

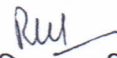
महोदय,

अवगत कराना है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194A में निम्न संशोधन किये गये हैं जो दिनांक 01.06.2015 से लागू होंगे। धारा 194A(i) जिसे धारा 194A(3)(i)(b) की धारा 194A(iii)(via)(b) के साथ पढ़ा जाय, के अनुसार सहकारी बैंक को सावधि जमा (Time Deposit) पर ₹ 10000.00 से अधिक देय/अर्जित ब्याज पर स्रोत से आयकर की कटौती की जानी है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194A(i) के संशोधित प्रावधान निम्नवत् हैं :-

- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194A में "Time Deposit" में आवर्ती जमा (Recurring Deposit) को भी शामिल कर लिया गया है अर्थात् आवर्ती जमा खातों पर देय/अर्जित ब्याज यदि ₹ 10000.00 से अधिक है तो उस पर स्रोत से आयकर की कटौती की जायेगी।
- आयकर अधिनियम 1961 की संशोधित धारा 194A के अन्तर्गत ब्याज से आय की गणना शाखा स्तर (Branchwise) के स्थान पर पूरे बैंक (Entity)के परिप्रेक्ष्य में स्रोत से आयकर की कटौती की जायेगी, जहां पर कोर बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध हो।

कृपया उपरोक्त संशोधनों से अवगत होते हुए नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय


(रवि कान्त सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित-

1. महाप्रबन्धक (आई.टी. सेल), उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० मुख्यालय लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि आयकर अधिनियम में उल्लिखित संशोधनों के अनुरूप स्रोत से आयकर की कटौती हेतु आवश्यक कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें।
2. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० मुख्यालय लखनऊ।
3. मुख्य महाप्रबन्धक, उ०प्र० कोआपरेटिव बैंक लि० मुख्यालय लखनऊ।


प्रबन्ध निदेशक